तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर –53 / 2019 नन्दलाल शर्मा वगै0 बनाम अनशुईया वगै0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.07.2021

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मंडल कुलोद कला स्थित भूमि खाता संख्या नया 2 व 3 में अवस्थित भूमि बाबत प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज भूमि के रेवेन्यू रिकार्ड में सहवन व क्लेरिकल मिस्टेक को दुरूस्त किया जाकर आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 2 के पिता का नाम भगवानदेव के स्थान पर भगवानदास शर्मा दर्ज किया जावे तथा अनावेदक सख्या 3 स्वंय का नाम धर्मेश के स्थान पर धर्मेन्द्र भाई दर्ज किया जावे तथा खाता संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 267 में आवेदकगण व अनावेदकगण की जाति जाट के स्थान पर ब्राहम्ण व निवासीगण देवीपुरा के स्थान पर नृसिंहपुरा दर्ज किया जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय प्रार्थना पत्र प्रति वास्ते जबाव प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने पर कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। तत्पश्चात तहसीलदार झुन्झुनू से प्रार्थना पत्र बाबत रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व / 2021 / 308 दिनांक 01.04.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की है जिसके अनुसार उक्त भूमि के पूर्व में आवेदकगण व अनावेदकगण 7 के ससुर सह खातेदार रहे हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात आवेदकगण व अनावेदकगण उनके वारिसान के रूप में सह खातेदार दर्ज हैं। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उक्त अनावेदकगण नम्बर 3 का नाम धर्मेश दर्ज हुआ है जबकि आधार कार्ड व परिचय पत्र में उनका नाम धर्मेन्द्र भाई दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भी धर्मेन्द्र भाई दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 2 के पिता व अनावेदकगण 3 लगायत [illegible] 7 के ससुर का नाम भगवान देव राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जब[illegible]नके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भगवान [illegible] राजस्व रिकार्ड में भगवानदास शर्मा करवाना च[illegible] राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 267 में आवेदकगण व अनावेदकगण की [illegible] जाट व ग्राम देवीपुरा दर्ज है जबकि आवेदकगण व अनावेदकगण के दूसरे खाते के अनुसार जाति ब्राहम्ण व ग्राम नृसिंहपुरा है उक्तानुसार रिपोर्ट पेश की गई है जो शामिल मिशल है। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व जांच रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। आवेदकगण के दस्तावेजी रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:26:44 IST
Reason: SelfAttested

(6)

आवेदक नम्बर 1 नन्दलाल शर्मा की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा 1967 की अंकतालिका में नन्दलाल शर्मा भगवानदास शर्मा व नन्दलाल शर्मा के आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी नन्दलाल शर्मा पुत्र भगवानदास शर्मा दर्ज है। आवेदक संख्या 2 वासुदेव शर्मा के दस्तावेजी रिकार्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में वासुदेव शर्मा पुत्र भगवानदास शर्मा दर्ज है तथा आवेदकसंख्या 3 के दस्तावेजी रिकार्ड में भी धर्मेन्द्र भाई शर्मा पुत्र भगवान दास शर्मा दर्ज है। उपरोक्त रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र आवेदकगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नृसिंहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 2 व 3 में वर्तमान जमाबंदी प्रविष्टि को निम्नानुसार शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र0सं0	नाम ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि	आदेश शुद्व प्रविष्टि
01	नृसिंहपुरा	2 व 3 4	भगवान देव	भगवान दास शर्मा
02	नृसिंहपुरा	2 व 3 4	धर्मेश	धर्मेन्द्र भाई
03	नृसिंहपुरा	3	जाट निवासीगण देवीपुरा	ब्राहम्ण निवासीगण नृसिंहपुरा

आदेश की प्रति तहसीलदार झुन्झुनू को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:26:44 IST
Reason: SelfAttested

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी झुन्झुनू

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)